आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
10/7/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 31/2008** **राजनारायण मांझी बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 382 दिनांक 19.7.07 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। यह माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 24845/2013 राजनारायण मांझी बनाम राज्य एवं अन्य दिनांक 12.2.14 को पारित आदेश से संबंधित है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि ग्रामीण जनता यानि राजनारायण मांझी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, केरवॉ (इसुआपुर) के उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए परिवाद पत्र तथा अपहरण कांड सं0 33/2006 में अभ्युक्त होने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 1770 दिनांक 25.8.2006 द्वारा इनकी अनुज्ञप्ति निलम्बित कर कारणपृच्छा की गयी थी। उनके द्वारा कारणपृच्छा कार्यालय को समर्पित नहीं किया गया था। विक्रेता के अपहरण कांड का अभ्युक्त होने तथा गिरफ्तारी के भय से फरार होने के कारण इनकी अनुज्ञप्ति को अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 382 दिनांक 19.7.07 के द्वारा अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गयी। अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश दिनांक 19.7.2007 के विरूद्व अपीलार्थी के द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश–एफ.टी.सी. प्रथम, सारण के न्यायालय में द्वायल सं0 13/07 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 6.3.09 को पारित आदेश में राजनारायण मांझी एवं अन्य को दोषी नहीं पाते हुए आरोप मुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सिविल रिट सं0 24845/13	

दाखिल किया था, जिसमें दिनांक 12.2.14 को आदेश पारित किया गया कि चूँकि निम्न न्यायालय के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश दिनांक 25.8.06 के द्वारा निर्गत निलम्बन आदेश के मुख्य आधार अपहरण कांड सं0 33/06 में राजनारायण मांझी आरोपमुक्त किया जा चुका है, इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश दिनांक 25.8.06 को निरस्त किया जाता है। विज्ञ अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का संदर्भ करते हुए अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को बहाल करने का अनुरोध किया।

सरकार की ओर से विज्ञ अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को बहाल करने हेतु अपनी सहमति दी।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का परिसीलन किया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC सं0 24845/2013 दिनांक 12.2.14 में पारित आदेश के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के जिस आदेश में अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को निलम्बित एवं रद्द किया गया था, को निरस्त कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को बहाल करने का आदेश दिया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 843 दिनांक 26/7/2014

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – APC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।